थाती पर मंडराता खतरा

शहर में ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को एक ओर तो अंध बाजारवाद ने अपनी चपेट में लिया तो दूसरी ओर उन पर अनधिकृत कब्जा जमाए लोग इस अमूल्य धरोहर को नष्ट करने में लगे

आधुनिकता के मानदंडों पर तीन लोक से न्यारी काशी भले ही कहीं न ठहरती हो, पर उसकी प्राचीनता ही उसकी थाती है. करवट लेती गंगा, उसके जल में अपना मुखड़ा धोते भव्य घाट, मंदिर, मठ, टेढ़ी-मेढ़ी संकरी गलियां ही उसकी संपत्ति हैं. घाटों पर गंगा के जल में पैठीं राजे-रजवाड़ों की कोठियां और महल काशी के वैभव में वृद्धि करते रहे हैं. अपनी कलात्मक उत्कृष्टता, वास्तु वैभिन्य और भव्यता के लिए ये इमारतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं. इन्हें देखने के लिए ही दुनिया भर से पर्यटक बनारस आकर उसकी गलियों की खाक छानते हैं. इन सबसे प्रभावित यहां की जीवन शैली को 'ठेठ बनारसी' के नाम से जाना जाता है. लेकिन आज इसी 'बनारसीपन' पर ग्रहण लगा है. आधुनिकता की आंधी और अंध बाजारवाद की चपेट में काशी के घाट, मंदिर, महल-कोठियों के साथ ही बनारसी संस्कृति भी है. यह अमूल्य धरोहर नष्ट हो रही है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रोफेसर और बनारस को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयासरत डॉ. राणा पी.बी. सिंह कहते हैं, ''काशी की विरासत लुट रही है, लेकिन कोई चूं तक नहीं कर रहा, ताज्जुब है.''

बनारस के 84 घाटों में से यूं तो हर घाट के पीछे एक-दो किंवदंतियां प्रचलित हैं और उनकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है, पर दशाश्वमेध घाट, सिंधिया घाट, अस्सी घाट, शीतला घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, प्रह्लाद घाट, दरभंगा घाट आदि का विशेष महत्व है. अनेक का निर्माण विभिन्न राजाओं ने करवाया, जिनसे लगी उनकी कोठियां भी हैं. जैसे सिंधिया घाट और सिंधिया पैलेस, दरभंगा घाट और दरभंगा पैलेस का निर्माण ग्वालियर के महाराजा सिंधिया और दरभंगा नरेश ने करवाया. अहिल्या घाट और अहिल्या बाई की कोठी इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने बनवाई. गंगा के किनारे ऐसी 40 कोठियां और महल हैं जिनका ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व है. पर आज ये सब क्षरण के दौर में हैं. इनका रखरखाव ढंग से न होने के कारण आज ये बुरी स्थिति में हैं. उनमें रहने वाले पुराने किराएदार ही अब मालिक बन बैठे हैं. डॉ. राणा कहते हैं, ''इन कोठियों का निचला हिस्सा लगभग सीधे गंगा की ओर राजघाट से लेकर रामनगर तक बेहद खूबसूरत नजारा पेश करता है. इन्हें संरक्षित कर पर्यटन की दृष्टि से इनका पुनरुद्धार किया जाए तो करोड़ों रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है.''

कुछ पूंजीपति औने-पौने ढंग से कुछ कोठियों को खरीदकर उन्हें लग्जरी होटलों में बदलने लगे हैं. प्रख्यात दरभंगा पैलेस को क्लार्क होटल के मालिकों ने खरीद लिया और वे उसे तोड़कर एक

नाजायज कब्जे: देवकीनंदन खत्री की हवेली; (दाएं) अहिल्याबाई कोठी

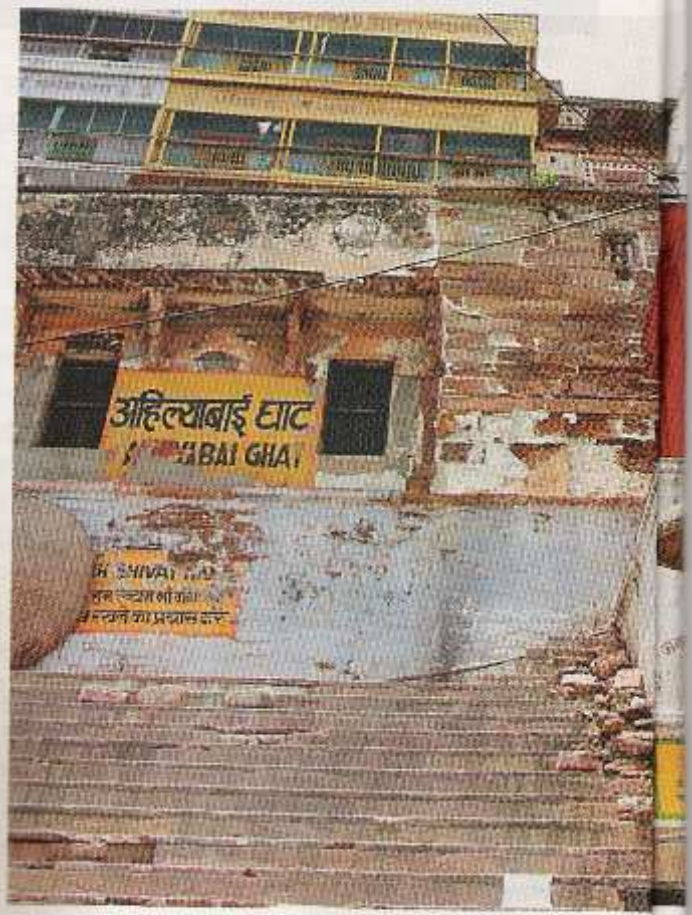

''उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून नहीं जिसके बल पर हम प्राचीन इमारतों, धरोहरों की खरीद-फरोख्त या उनके पुनर्निर्माण पर रोक लगा सकें.''

कैप्टन आर. विक्रम सिंह
सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण

"विकास प्राधिकरण कुछ व्यवसायियों को उत्कृष्ट कला के नमूने वाली इमारतों को तोड़ने और उन्हें पांचतारा होटलों में बदलने की इजाजत दे रहा है."

वृंदा दर, *समाजसेविका*

नहीं बन पाया लग्जरी होटल: दरभंगा पैलेस का पिछवाड़ा

लग्जरी होटल का रूप दे रहे थे कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के विरोध और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हो जाने से यह काम रोक देना पड़ा. विरोध करने वालों में सबसे मुखर और तेजतर्रार समाजसेविका वृंदा दर कहती हैं, "बनारस में विदेशी या देसी पर्यटक लग्जरी पर्यटन के लिए नहीं आते. वे गंगा, उसके घाटों, और बनारस की गलियों को देखने आते हैं. हमें अपनी इन धरोहरों को सहेजना होगा. इन्हें इस लायक बनाना होगा कि ये पर्यटकों को आकर्षित करें." उनका आरोप है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) कुछ व्यवसायियों और उद्योगपतियों को उत्कृष्ट कला और स्थापत्य के नमूने वाली इमारतों को तोड़ने और पांचतारा होटलों में तब्दील करने की इजाजत दे रहा है.

पर वीडीए के सचिव कैप्टन आर. विक्रम सिंह कहते हैं, "उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून नहीं है जिसके बल पर प्राचीन इमारतों, धरोहरों की खरीद-फरोख्त या उनके पुनर्निर्माण पर रोक लगा दी जाए. उन्हें तोड़कर नया रूप देने से हम रोक नहीं सकते. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अगर किसी मामले में आपत्ति करता है तो हम फौरन कार्रवाई करते हैं." बहरहाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजाओं रईसों की अनेक कोठियां अनधिकृत कब्जेदारों की गिरफ्त में हैं. *चंद्रकांता संतति* उपन्यास के रचयिता प्रख्यात उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री की रामापुरा स्थित हवेली, अहिल्याबाई कोठी जैसी कई कोठियां आज किराएदार कब्जाए हुए हैं. रामापुरा की मंजुलता कहती हैं, "देवकी बाबू के वंशज तो कई शहरों में हैं. किराएदारों ने तिकड़म कर कोठी अपने नाम करा ली है. करोड़ों रु. की यह संपत्ति पाने के लिए देवकी बाबू के वंशजों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी. पर वे इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते."

इसी प्रवृत्ति के चलते ही प्राचीन कला, संस्कृति और स्थापत्य का क्षरण हो रहा है. वृंदा कहती हैं, "आम जनता में चेतना का अभाव है. जो चैतन्य हैं वे किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते. नतीजतन, कला और स्थापत्य के नमूने नष्ट हो रहे हैं. ऐतिहासिक इमारतों में बकरियां बांधी जा रही हैं." पर विक्रम सिंह का तर्क है, "इनके खरीदार इनका पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे तो खरीदेंगी क्यों? या तो इन्हें नाजायज कब्जेदारों के हाथ में छोड़ दिया जाए, तब ये खुद ही 25-50 साल में नष्ट हो जाएंगी. निजी हाथों में दें तो वे इनका व्यावसायिक इस्तेमाल करेंगे ही. ऐसे में एक निर्णय तो लेना ही होगा." पर कुछ लोगों का मानना है कि नाजायज कब्जेदारों से लेकर खरीदार निजी हाथों तक पर कानून का नियंत्रण होना ही चाहिए.

वैसे, लोग अपनी विरासत के प्रति संवेदनशील हों तो ऐतिहासिक इमारतों का पुनरुद्धार मुश्किल नहीं है. शहर में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पुरानी इमारतों को निजी तौर पर बेहद कलात्मक ढंग से संवारकर उनका व्यावसायिक उपयोग किया गया है. कलाकार शशांक सिंह ने प्रख्यात अस्सी घाट पर अपने पुश्तैनी मकान को करीने से कलात्मक टच दिया है. उन्होंने उसके मूल स्थापत्य को छुए बिना अपनी कला-प्रतिभा का उपयोग कर उसे होटल *गैंजेज व्यू* में बदल दिया. एक राजस्थानी परिवार ने भी एक पुराने मकान को खरीदकर उसे बनारस आर्ट गैलरी में बदल दिया है.

खैर, बनारस की धरोहरों के प्रति अनेक लोगों का चिंतित होना थोड़ी उम्मीदें जिलाए हुए है. अहिल्या घाट के नाविक रामू कहते हैं, "साहब काशी के घाट, गंगा और हवेलियों को ठीक रहना चाहिए. इन्हें देखने ही तो आते हैं विदेशी." रामू की चिंता को दूसरी तरह प्रकट करते हैं डॉ. राणा, "अमेरिका में एक सेमिनार में बनारस पर एक पेपर पढ़ा गया जिसमें यहां की धरोहरों के खराब रखरखाव की बात थी. लोगों ने मेजें थपथपाकर *शेम-शेम, बनारस शेम, इंडिया शेम* कहा. मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े. मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं था." बचाव में कुछ कहने को भले कुछ न था डॉ. राणा के पास, पर उनकी आंख से ढुलके आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि बनारस की संवेदना अभी मरी नहीं है. और जब तक यह जिंदा है, उम्मीद बाकी है.

—राहुल यादव